(4)

प्रेषक,

संख्या-3070/सत्तर-6-2005-3(2)/93

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, उच्चशिक्षा,
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

उच्चशिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 28 जुलाई, 2005

विषय:- प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाना।

महोदय,

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने हेतु मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-296/15-19-95-3(2)/93, दिनांक 9-3-95 द्वारा सचिव, उच्चशिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 21-6-2005 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमिनीटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाजी महमूदाबाद, सीतापुर द्वारा वांछित अभिलेख/विवरण उपलब्ध करा दिये गये हैं।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त महाविद्यालय को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2 से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु तात्कालिक प्रभाव से अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

संख्या-3070(1)/सत्तर-6-2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कुलसचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
2- सचिव/प्रबन्धक, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमिनीटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाजी महमूदाबाद, सीतापुर।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

Encl. C-1

संख्या-2116 /सत्तर-6-2003

प्रेषक,

[illegible]
[illegible],
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2003

विषय:- एन०सी०टी०ई० के मानकों के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव के सन्दर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त प्र०मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमिनिटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, महमूदाबाद सीतापुर का स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2004-05 से प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

(1)- उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शर्तों का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

(2)- उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा और इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगी।

(3)- उक्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(4)- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-21(66)/2002, दिनांक: 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएं एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।

(5)- उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

...2/-

(16)- उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा बशर्ते कि ऐसा किसी अधिनियम में ही न अपेक्षित हो।

(17)- राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(18)- मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय/संस्थान के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(19)- उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ग्राम महमूदाबाद परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में गाटा संख्या-705,709,799,800,806,808 व 809 में उपलब्ध भूमि जिसका रकबा 21200 वर्गमीटर है, पर ही किया जायेगा अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वत: निरस्त हो जायेगी।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम शंकर)
अनु सचिव

संख्या-2116 (1)/सत्तर-6-2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सेक्रेटरी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमिनिटीज साइन्स एण्ड टेक्नोलाजी सीतापुर।

2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46 शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।

3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
अनु सचिव

B. Ed. faculty

GRAM UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

☎ 2570301(O)
2570450
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref.No.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./3697/2009 दिनांक 29/12/09

प्रापक,

प्रबन्धक(प्रबन्ध समिति)
मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
मेहमूदाबाद,
सीतापुर ।

विषय.– स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14.11.2009 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या– 2104/सत्तर–1–08 दिनांक 12.08.2008 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने प्रवक्ताओं के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	विषय	
1.	श्री सर्वेश कुमार श्रीवास्तव	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
2	श्रीमती शहनाज मिर्जा	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
3.	श्री अनिल कुमार	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
4	श्री पंकज कुमार तिवारी	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
5.	श्रीमती सुषमा सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
6	श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
7	रूखसाना रेहाना नकवी	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
8.	कु0 अनुभा श्रीवास्तव	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
9.	कु0 अंजली सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
10	श्री अमर सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
11.	कु0 नमिता यादव	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
12.	श्री राम शंकर वर्मा	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
13.	कु0 अशिमा	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
14	श्री सत्येन्द्र कुमार	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
15.	श्री शिव कुमार सिंह यादव	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
16	कु0 भावना यादव	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन

श्रीमती सैयदा बानो रिजवी के स्नातक परीक्षा बी0एड0 में 55 प्रतिशत के सापेक्ष 45 प्रतिशत ही प्राप्तांक है इसलिए इनके चयन का अनुमोदन किया जाना सम्भव नही है ।

क्रमशः–2 पर

Former :
Member : Elected members of the All India Congress Committee (AICC) since 1972 to January 2020 (voluntarily resigned)
: Legislative Assembly, Uttar Pradesh (Thrice)
: Legislative Council, Uttar Pradesh.(Once)
Congress Pradesh Returning Officer (Election) – Gujarat State Parliamentary Board since 1975 to 2004

PORTFOLIOS HELD IN THE STATE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH:

Former : **Acting Chief Minister of Uttar Pradesh (Twice)**

Minister : **Primary, Intermediate, Higher, Medical and Technical Education, Rural Development, Area Development, Public Works Department, Protocol, Cultural Affairs, Information, Tourism, Civil Aviation, Muslim Waqf, Parliamentary Affairs, Fisheries, National Integration, Revenue, Scarcity Relief and Rehabilitation, Rural Engineering Service, U.P., State Bridge Corporation.**

Former **Leader of Opposition, U.P. Legislative Council.**
Former **Deputy Speaker, Legislative Assembly, U.P.**
Former **Vice Chairman–State National Integration Council (Cabinet Rank)**
Former **Chief Whip of the C.L.P, U.P, Legislative Council.**

Performed: Duties As
Minister-in-waiting in U.P. to H.R.H. Prince Charles of Great Britain.
Minister-in-waiting to Amir of Bahrain
Minister-in-waiting to Sultan of Sharjah
Minister-in-waiting to President H.E. Rafsanjani of Iran in Uttar Pradesh Nominated by Shri P.V. Narsimba Rao, the Prime Minister of India.
Minister-in-waiting to King of Malaysia Sultan Azlan Shah
Minister-in-waiting to H.E. Mr. Robert McNamara, H.E. Mr. Barber Conable, Presidents of the World Bank and also to H.E. Mr. Michel Camdessus, Managing Director of the International Monetary Fund. (IMF)
Looked after most of the Ambassadors, High Commissioners and Foreign Guests visiting Uttar Pradesh.
Supervised the Convention of the Delegates from all Muslim Countries held in Nadwa, Lucknow in 1975.
Was invited by H.E. Mr. George Bush, the President of the United States of America to meet him in New Delhi 2006 to discuss many important International Issues.

Former Chairman :
Privilege Committee U.P. Assembly
Question and Reference Committee
House Committee
Library Committee
Petition Committee

Former Member:
Committee of Parliament Research, Reference & Study Niyam Samiti
Legislative Assembly, U.P.
Central Haj Committee.

Former Member Hajj Goodwill Delegation (Govt. of India) – 1987
Former Deputy Leader Hajj Goodwill Delegation (Govt. of India) – 1989
Nominated by Prime Minister of India Shri Rajiv Gandhi
Performed Hajj as Guest of His Majesty the King of Saudi Arabia in 1992
Former Leader Hajj Goodwill Delegation in 1996 nominated by the Prime Minister of India Shri P.V. Narsimha Rao
Former Leader Hajj Goodwill Delegation in 2018 nominated by the Prime Minister of India Shri Narendra Modi.

GRAM UNIVERSITY
FAX 0512-2570006

2570301(O)
2570450
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref.No.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ /2009 दिनांक

श्री सौरभ वैश्य, श्री अनूप कुमार अवस्थी, श्री यदुनाथ सिंह, श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री मनीष चौहान का मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी महमूदाबाद, [illegible] पूर्व प्रदत्त अनुमोदन निरस्त किया जाता है ।

यदि सम्बन्धित अभिलेखो मे किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार [illegible] सम्बन्धित प्रवक्तागण होगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बी०एड० प्रवक्ताओ के नियुक्ति पत्र [illegible] वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध [illegible] व्यवस्था सुनिश्चित करे ।

भवदीय

(महेश चन्द्र [illegible])
कुलसचिव

Principal
Maulana Azad Inst. Of Humani Science & Technology Mahmudabad (Sitapur)

CHJM

राजभवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.सं. 2059 /जी.एस.
दिनांक: 06/ 9 /2005

प्रेषक,
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
कुलसचिव,
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./३७७१/२००५ दिनांक २६-०६-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमैनिटीज साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, महमूदाबाद, सीतापुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त-पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

१- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

२- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

३- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-२, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
४- प्रबन्धक/प्राचार्य, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमैनिटीज साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, महमूदाबाद, सीतापुर।

प्राचार्य
मौलाना आजाद इन्स्टीटयूट आफ ह्युमनिटीज साईस एण्ड टेक्नोलोजी महमूदाबाद, सीतापुर

प्राचार्य
मौलाना आजाद इन्स्टीटयूट आफ ह्युमनिटीज साईस एण्ड टेक्नोलोजी महमूदाबाद, सीतापुर

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

Dr. [illegible]
[illegible] Azad Institute of Humanities
[illegible] Technology Railway
Station Road Mahmudabad
Distt Sitapur (U.P.)

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.2059/जी0एस0 दिनांक 06.9.2005 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी, के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3771/2005 दिनांक 27.6.2005 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन मौलाना आजाद इंस्टीटयूट आफ ह्यूमैनिटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, महमूदाबाद, सीतापुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय मे बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत । निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
2. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय मे निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 5858 /2005 दिनांक 07/07/05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, मौलाना आजाद इंस्टीटयूट आफ ह्यूमैनिटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, महमूदाबाद, सीतापुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3970/सत्तर-6-2005-3(2)/93 दिनांक 28.7.2005 जिसके अनुसार राज्यपाल महोदय द्वारा महाविद्यालय अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दिया गया है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार 50 प्रतिशत आरक्षण कोटा अनुमन्य किया जाता है ।
2. उप कुलसचिव(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. ईचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

Dr. Ammar Rizvi
Secretary
Institute of [illegible]
Technology Railway
Road Mahmudabad
Sitapur (U.P.)

प्राचार्य
मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट
आफ ह्यूमनिटीज साइंस एण्ड
टेक्नो[illegible] महमूदाबाद, सीतापुर

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–3423/सत्तर–6–2008–2(711)/2008

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर, 2008

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2107/2008, दिनांक 20.08.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन मौलाना आजाद इन्स्टीटियूट आफ हियूमिनटीज साइस एण्ड टेक्नोलॉजी, महमूदाबाद, सीतापुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002टीसी, दिनांक 16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2(166)/2005, दिनांक 21.10.2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व पाठ्यकम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,
(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–3423(1)/सत्तर–6–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4. प्रबन्धक, मौलाना आजाद इन्स्टीटियूट आफ हियूमिनटीज साइस एण्ड टेक्नोलॉजी, महमूदाबाद, सीतापुर।
5. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

H.O.D.
Deptt. of Teacher Edu.
Maulana Azad Inst. of
Humanities Sciences & Technology

प्रतिलिपि पत्र संख्या-3423/सत्तर-6-2008-2(711)/2008 दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2107/2008, दिनांक 20.8.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन मौलाना आजाद इन्स्टीटियूट आफ हियूमिनटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, महमूदाबाद, सीतापुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत है तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित व कार्यरत नहीं है ।
3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002टीसी, दिनांक 16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166)/2005, दिनांक 21.10.2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायगा ।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
5. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।
7. आगामी शैक्षिक सत्र में छात्र आवंटन से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस सम्बन्ध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा ।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 591 /2009 दिनांक 20/02/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, मौलाना आजाद इन्स्टीटियूट आफ हियूमिनटीज साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, महमूदाबाद, सीतापुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित निर्देशों का अनुपालन समयावधि के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सहायक कुलसचिव(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव